(1)

2/215 05/07/22

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला–अलवर

सुदेश .... बनाम .... जलसिंह

किस्म मुकदमा .... नं0 ..2/215.. सन् ..2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2022	आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 20.09.2022 तक पांबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा न0 171/0.24, 172/0.30, 24/0.30, 25/0.29 कुल किता 4 रकबा 1.13 हैक्टे0 में से 1/2 हिस्सा व ~~783~~ 763 रकबा 0.28 में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर को आगामी तारीख पेशी तक प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में निहित वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हिस्से तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे। रहन बय ना करे। प्रार्थी साधारण/रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 20.09.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 20.09.2022 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)	
20/09/22	वादी के वकील/वकुलाव उपस्थित/पीठासीन अधिकारी। .... पेश किया है .... नकल दिलाई गई। वास्ते .... पत्रावली दिनांक 21/11/22 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)

सुरेश बनाम जगसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
03.11.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 12.12.23 को पेश हो। [signature] रीडर	
12.12.23	वकील वादी अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रि0 ज0 से दिनांक 04.1.24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
04.1.24	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगवायी गई। साय 5:00 बजे तक इंतजार किया गया। तथा पुन आवाज लगवायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी उपस्थित नही आये। अत: प्रार्थना पत्र -212 RTA वकील व उनके प्रार्थी की अदम हाजिरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र -212 RTA के नकल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0	